MCDR-MiFLOBXT/144/2022-GNR-IBM_RO_GNR

1/7260/2023

Violation Letter E-MAIL / REGD A.D

Government of India

Ministry of Mines

Mahotsav Indian Bureau of Mines Office of Regional Controller of Mines KarmayogiBhavan, 4th Floor, Block-2, Sector10A,

Gandhinagar, Gujarat-382010

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय

कर्मयोगी भवन, चत्र्थं माला,ब्लॉक-2, सी

विंग,सेक्टर-10A गांधीनगर, गुजरात,382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई —मेल/E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

सेवार्मेTo:

Mine Code: ID-31.03.2023

E-mail: dipak18.patel@yahoo.com

दिनाक

07GUJ14023

Owner/Agent/Manager/Mining Engineer

फाईलसंख्याFile No: MCDR-MiFL0BXT/144/2022-GNR-IBM RO GNR

प्रेषितः Shri Alimiya Imamali Saiyad FF16 Samruddhi Complex, Near LIC Office, Himmatnagar, District-

Sabarkantha **Gujarat** 383001

विषय Sub:

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your DEDHROTA BAUXITE over an area of 20.00 ha located near village- Dedhrota,

Tehsil- Himatnagar, District- SABAR KANTHA in Gujarat.

महोदय Sir,

The following provisions of the Mineral Conservation & Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the MCDR inspection carried out by Sh. Snehalkumar Patel, AME on 18/01/2023.

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Plantation & Fencing were not carried out at the proposed location.
34A(1) read	The submitted output/details of the drone survey were not found as per the SOP issued by IBM
with rule	under rule 34A(5).
34A(5)	

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास 02. नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से 03. व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति 04. की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है। 05.

भवदीय Yours faithfully,

(मनीष गुप्ता /Manish Gupta)

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थएंव आवश्यक कार्यवाई हेत् प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।(zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन, निदेशालय, गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित । (cgm@gujarat.gov.in)
- 3- MCDR/गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक/Assistant Controller of Mines